

रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरिया

महिला  
श्रीमती ललिता देवी यादव का आरोप कि लाडु पति  
नाम श्रीमती ललिता देवी यादव का नाम लाडु पति शंकर सिंह  
लाडु पति शंकर सिंह का नाम लाडु पति शंकर सिंह का नाम  
लाडु पति शंकर सिंह का नाम लाडु पति शंकर सिंह का नाम

Ummu  
Date  
12/6/2018

रिपोर्ट तहसीलदार

रिपोर्ट पत्रावली नं. 80 के अन्तर्गत व प्र. नं. 2072 से 2075 के खाता  
लाडु पति शंकर सिंह के बजाय लाडु पति शंकर सिंह दर्ज किये जाने की  
की जाती है

तहसीलदार (भू. अ.)  
दुरडा जिला भीलवाड़ा

दिनांक 06.06.2018

रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरिया भू-अभिलेख निरीक्षक दांतडा एवं तहसीलदार  
दुरडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवरिया की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता  
संख्या 80 की खातेदार लाडु पति शंकर के बजाय लाडु पति शंकर सिंह दर्ज  
कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा लाडु पति शंकर के स्थान लाडु पति शंकर सिंह  
करावाया जाने बाबत समुचित आधार (जमाबन्दी) नहीं होने से मैं न्यायालय प्रार्थी नाम  
दुरस्त किया जाना उचित नहीं समझता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने  
से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर करे। आदेश  
आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत कैंप कोर्ट ऊखलिया पर सुनाया  
गया।



(नन्दकिशोर राजोरा)  
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official